SARASWATI VIDYA MANDIR

SENIOR SECONDARY SCHOOL

KARKATTA, KHALARI, RANCHI

Affiliated – CBSE/AFF 3430169, School No - 66365

Reg. No.- 927/2008-09 Run by Vidya Vikash Samiti, Jharkhand

Website:-www.svmkhalari.com E-mail:- svmkarkatta@yahoo.co.in Mob No.:-9955976212

Letter No. – SVM/KH/ 29/2026-27 Dated : - 20.05.2026

सेवा में,
श्रीमान् संयुक्त सचिव महोदय (Affiliation),
सी.बी.एस.ई., नई दिल्ली ।

विषय – शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत विद्यालय की मान्यता से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन ।

महोदय,

सादर निवेदन है कि कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची के पत्रांक – 4235, दिनांक – 23.12.2025 के माध्यम से विद्यालय की मान्यता से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन साक्ष्य के साथ जिला – शिक्षा अधीक्षक राँची, क्षेत्र शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को भेजा गया है । RTE के तहत विद्यालय की मान्यता की प्रक्रिया अंतिम चरण में है । मान्यता संबंधी पत्र प्राप्त होते ही Mandatory Public Disclosure में submit कर दिया जाएगा ।

महोदय, विदित हो कि विद्यालय की मान्यता RTE के तहत जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची (झारखंड) से लेने हेतु 2019 से ही प्रयास जारी है । 2023 से मान्यता प्रक्रियाधीन है । दिसम्बर 2025 में विस्तृत प्रतिवेदन की माँग की गयी थी, जिसे जमा कर दिया गया है । उक्त पत्राचार एवं कार्य व्यवहार को साक्ष्य के रुप में इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर Mandatory Public Disclosure में श्रीमान् के ध्यानाकर्षण हेतु लगाया जा रहा है ।

शेष शुभ । सधन्यवाद !

सचिव

सचिव
सरस्वती विद्या मंदिर
करकट्टा, खलारी, राँची (झारखण्ड)

20/5/26
प्रधानाचार्य
Principal
Saraswati Vidya Mandir
Karkatta Pariyojana, Khalari
Ranchi (Jharkhand)

अनुलग्नक:–
(1) पत्रांक – 127 / 2019 – 20 दिनांक – 25 / 11 / 2019 की छायाप्रति ।
(2) कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची के पत्रांक – 903 दिनांक – 21 / 03 / 2023 की छायाप्रति ।
(3) कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची के पत्रांक – 4235 दिनांक – 23 / 12 / 2025 की छायाप्रति ।
(4) प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, क्षेत्र शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को विद्यालय का विस्तृत प्रतिवेदन पत्रांक – SVMKT/127/2025-26 दिनांक – 24 / 03 / 2026 की छायाप्रति ।

Saraswati Vidya Mandir
Karkatta, Khalari

Affiliated – CBSE/AFF 3430169
Registered by Vidya Vikash Samiti, Jharkhand
Registration No.- 927/2008-09, School No - 66365
Website:-www.svmkhalari.com
E-mail:- svmkarkatta@yahoo.co.in   Mob No.:-9430379266

Letter No:- SVMKT- 127/2019-20   Date: 25/11/2019

सेवा में,
श्रीमान् जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची

विषय : विद्यालय को आर. टी. ई. के अन्तर्गत कक्षा प्रवेश से अष्टम तक मान्यता से संबंधित ।

संदर्भ – कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक राँची ज्ञापांक 1157 राँची दिनांक 01.10.19 के संबंध में ।

महोदय

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर निवेदन है कि सरस्वती विद्या मंदिर, करकट्टा परियोजना, खलारी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त +2 विद्यालय है । आर. टी. ई. के अन्तर्गत कक्षा 01 से 08 तक मान्यता प्राप्त करना है ।

अतः आवेदन पत्र के साथ सभी संबंधित दस्तावेज संलग्न करते हुए कक्षा 01 से 08 तक की मान्यता प्राप्ति हेतु संचिका श्रीमान् की सेवा में समर्पित है ।

भवदीय

(हस्ताक्षर) 21.11.19
सचिव
सरस्वती विद्या मंदिर
करकट्टा, खलारी, राँची (झारखण्ड)

(हस्ताक्षर) 21/11/19
प्रधानाचार्य
Principal
Saraswati Vidya Mandir
...Pariyojana, Khalari

अनुलग्नक:
(1) मान्यता प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र ।
(2) सोसाइटी पंजीकरण की छायाप्रति एवं प्रबंध समिति के संविधान की छायाप्रति ।
(3) विद्यालय के प्रबंधक द्वारा गैर स्वामित्व प्रकृति का शपथ पत्र ।
(4) 2016 – 17, 2017 - 18 एवं 2018 - 19 का अंकेक्षक प्रतिवेदन की छायाप्रति ।
(5) विद्यालय की भूमि का रजिस्टर्ड लीग डीड की छायाप्रति ।
(6) 2,17,528=96(दो लाख सत्तरह हजार पाँच सौ अट्ठाईस रुपये छियानवे पैसे) की सावधि जमा व सुरक्षा कोष संबंधी प्रपत्र की छायाप्रति ।
(7) अध्यापन पठन सामग्री की सूची ।
(8) अग्निशमन प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
(9) प्राथमिक एवं माध्यमिक के अध्यापकों का व्योरा ।
(10) खेलकूद और क्रीडा उपस्कर की सूची ।
(11) सी॰बी॰एस॰ई॰ से संबंधन हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र की छायाप्रति ।
(12) मान्यता संबंधी सी॰बी॰एस॰ई॰ के पत्र की छायाप्रति ।

कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची

समाहरणालय भवन ए. ब्लॉक कमरा संख्या– 113 कचहरी रोड राँची– पिन 834001

प्रमाणित किया जाता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आर.टी.ई) के अंतर्गत वर्ग 1 से 8 तक की मान्यता हेतु सरस्वती विद्या मंदिर, करकट्टा, खलारी, राँची का प्रस्ताव कार्यालय को प्राप्त हुआ है। विद्यालय में आर.टी.ई. के अंतर्गत नियमानुसार छात्र/छात्राओं का नामांकन लिया जाता है।

आर.टी.ई. के अंतर्गत विद्यालय की मान्यता हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

ह०/–
जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–
नोडल पदाधिकारी, आर.टी.ई. राँची।

ज्ञापांक 903 / राँची, दिनांक 21.3.2023 /

प्रतिलिपिः– उप सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, सरस्वती विद्या मंदिर, करकट्टा, खलारी, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/3/23

जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–
नोडल पदाधिकारी, आर.टी.ई. राँची।

21/03/23

सचिव
सरस्वती विद्या मंदिर
करकट्टा, खलारी, राँची (झारखण्ड)

Principal
Saraswati Vidya Mandir
Karkatta Pariyojana, Khalari
Ranchi (Jharkhand)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची

पत्रांकः 4235 /

प्रेषकः

बादल राज
जिला शिक्षा अधीक्षक,
राँची।

सेवा में,

1. दिल्ली पब्लिक स्कूल, ग्रेटर, राँची
2. लोयला कॉन्वेंट स्कूल, बुटी राँची
3. संत पीटर स्कूल, कांके
4. कमलनाथ मेमोरियल विद्या मंदिर गागी, काँके
5. महेन्द्र सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पुरानी राय, खलारी
6. आवासीय बंधु उच्च विद्यालय द्विसूद बनहोरा, रातु
7. डी.ए.भी. पब्लिक स्कूल गाँधीनगर, काँके
8. रायल प्रोग्रेसिव स्कूल डकरा, खलारी
9. सरस्वती शिशु विद्या मंदिर करकट्टा, खलारी
10. सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पिपरवार, खलारी

राँची, दिनांक 23-12-25

विषयः शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत विद्यालय का मान्यता से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक 3167 दिनांक 06.11.2025 द्वारा दिनांक 25.10.2025 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों की मान्यता के आलोक में उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गयी थी समिति की सदस्यों द्वारा बैठक में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन का अवलोकनोपरांत विद्यालय को मान्यता दिये जाने संबंधी कई कमियाँ पायी गयी। समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि विद्यालय से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन की मांग किये जाने के आलोक में प्रपत्र उपलब्ध कराया जा चुका है।

अतः निदेश दिया जाता है कि उपलब्ध कराये गये प्रपत्र में अंकित सभी कंडिकाओं को पूर्ण रूप से भरते हुए साक्ष्य के साथ आपके क्षेत्र के संबंधित प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/अवर विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय के माध्यम से प्रतिवेदन यथाशीध उपलब्ध कराया जाय ताकि अगली जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक में प्रस्ताव रखा जा सके।

विश्वासभाजन

23/12/25

जिला शिक्षा अधीक्षक,
राँची।

23.12.2025

SARASWATI VIDYA MANDIR
SENIOR SECONDARY SCHOOL
KARKATTA, KHALARI, RANCHI

Affiliated – CBSE/AFF 3430169, School No - 66365

Reg. No.- 927/2008-09 Run by Vidya Vikash Samiti, Jharkhand

Website:-www.svmkhalari.com **E-mail:- svmkarkatta@yahoo.co.in** **Mob No.:-9955976212**

Letter No. – SVMKT/ 127/2025-26 Dated : - 24.03.2026

सेवा में,

श्रीमान् जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची

द्वारा – प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी / अवर
विद्यालय निरीक्षक, खलारी

विषय – शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत विद्यालय की मान्यता से संबधित विस्तृत प्रतिवेदन ।

संदर्भ – कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची पत्रांक – 4235 दिनांक – 28.12.2025 से संबधित ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि पत्रांक – 4235 दिनांक – 23.12.2025 के अनुसार श्रीमान् के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र में अंकित सभी कंडिकाओं को पूर्ण रुप से भरते हुए साक्ष्य के साथ संचिका अग्रतर कार्रवाई हेतु श्रीमान् की सेवा में समर्पित है ।

भवदीय

24/3/26

(शालिग्राम सिंह)
प्रधानाचार्य
Principal
Saraswati Vidya Mandir
Karkatta Pariyojna, Khalari
Ranchi (Jharkhand)

अनुलग्नक:

(1) पत्रांक – 4235 दिनांक – 23.12.2025 की छायाप्रति ।
(2) श्रीमान् के द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रपत्र की छायाप्रति ।
(3) पत्रांक की कंडिका 5 का साक्ष्य (सोसाइटी रजिस्टर्ड है) ।
(4) प्रपत्र की कंडिका 8 का साक्ष्य (भूमि संबंधित साक्ष्य) ।
(5) प्रपत्र की कंडिका 13 का साक्ष्य अंचलाधिकारी का प्रमाण पत्र ।
(6) प्रपत्र की कंडिका 15 का साक्ष्य चालान की छायाप्रति ।
(7) कंडिका 16 का साक्ष्य सावधि जमा खाता की छायाप्रति ।
(8) कंडिका 21 विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति का विवरण ।
(9) कंडिका 22 शुल्क संरचना का प्रतिवेदन ।
(10) कंडिका 25 पेयजल एवं स्वच्छता प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
(11) कंडिका 29 अग्निशमन प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।

Received
07/4/2026
प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी
खलारी